

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र

प्रशासन गांवों के संग
 अभियान-2021

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- 652/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का^{शिवपुर}....., भू अ0नि0 वृत्त^{शिवपुर}..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा^{शिवपुर} तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2020 के खाता संख्या ...118..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

| क्र. सं. | मौजा | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|--------|-------------|--------------------------------------|---|
| 1. | शिवपुर | 118 | जानीवाई पत्नी स्व. नारायण | जानीदेवी पत्नी स्व. नारायण |

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(632)2021 दिनांक :- 24/11/2021.....
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ...जानीदेवी पत्नी स्व. नारायण... को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी

